न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या 107/18 | तारीख दायरा 11.10.2018 | तारीख फैसला 13-11-2018

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (R.A.S.)

उनवान

मुकेश कुमार पुत्र बाबू लाल जाति मीना निवासी कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

–वादी

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बाबू लाल
2. भरतराज पुत्र बाबू लाल
3. जितेन्द्र पुत्र बाबू लाल
4. जगदीश पुत्र बाबू लाल
5. चन्द्रकला बाई बेवा पत्नी बाबू लाल जाति मीना निवासीगण कोटसुवां तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान
6. राम विलास पुत्री बाबू लाल पत्नी रामावतार जाति मीना निवासी कोटसुवां तहसील दीगोद हाल निवास रूग्घी तहसील दीगोद जिला कोटा
7. ज्योती कुमारी पुत्री बाबू लाल पत्नी आशीष मीना जाति मीना निवासी कोटसुवां तहसील दीगोद हाल निवासी रामखेडली तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद में ख0नं0 1639 रकबा 1.98 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता व पति के खातें में दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उपरोक्त भूमि बाबूलाल

8– राज. सरकार जरिये तहसीलदार ...

कोटा

0 भूला उर्फ भोलू के खातें दर्ज चली आ रही थी। बाबूलाल आ0 भूला उर्फ भोलू की मृत्यु
दिनांक 06.09.2018 को हो गयी। जिसके वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 एक मात्र वारिसान
है किन्तु भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के कब्जें काश्त में ही चली आ रही है तथा उक्त
भूमि पुश्तेनी भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 जाति में मीना है तथा मीना जाति व
समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस कारण मीना जाति व समाज में
पुरूष वर्ग मौजूद होनें पर महिलाओं का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे भी लडकियां
अपनें ससुराल में निवास करती है। बाबूलाल आ0 भूला उर्फ भोलू की मृत्यु के बाद वादी व
प्रतिवादी नं0 1 ता 4 पुरूष वर्ग मौजूद है इस कारण वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के अलावा
अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त नहीं होता है और न ही
किसी प्रकार का अधिकार व कब्जा है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 पुरूष वारिस है तथा
उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त वाद पत्र
की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 खातेदार काबिज काश्तकार चले
आ रहे है। उपरोक्त भूमियों में से प्रतिवादी नं0 5–6–7 जो मीना जाति की महिला है, का कोई
हक व हिस्सा व कब्जा नहीं है व प्रतिवादी नं0 5–6–7 द्वारा अपनें पिता व पति के जीवन
काल में ही उपरोक्त भूमि में प्राप्त होनें वाले हिस्से का हक त्याग अपनें भाईयों व पुत्रों में कर
दिया है। इस कारण उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 तथा 4 को खातेदार घोषित किया
जाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी नं0 8 से उपरोक्त भूमि का इंतकाल वादी व
प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के नाम खोलने हेतु कहा तो उनके द्वारा दिनांक 01.10.2018 को मना कर
दिया। इस कारण वादी के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।
वाद कारण दिनांक 01.10.2018 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नं0 8 ने वादी व प्रतिवादी नं0
1 ता 4 का नाम फोती नामान्तकरण खोलनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादी ने प्रार्थना की है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न
आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद की ख0नं0
1639 रकबा 1.98 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 को खातेदार
घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 8 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व
रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण
से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

8– राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कोटसुवां संवत् 2071–74 खाता नं0 213
2. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बाबूलाल दिनांक 18.09.2018
3. छायाप्रति वारिस प्रमाण पत्र बाबूलाल ग्राम पंचायत कोटसुवां दिनांक 20.09.2018

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा पेश हुआ तथा दिनांक 30.10.2018 को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 7 ने उपस्थित होकर प्रकरण में इकबालिया जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि पक्षकारान् एक ही परिवार के सदस्य है व मृतक खातेदार बाबूलाल पुत्र भूला उर्फ भोलू जाति मीना निवासी कोटसुवां के वारिसान है जिनके मध्य राजीनामा हो चुका है। ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद के ख0नं0 1639 रकबा 1.98 हे0 भूमि का वादी मुकेश कुमार व प्रतिवादीगण नं0 1 राजेन्द्र प्रसाद, नं0 2 भरतराज, नं0 3 जितेन्द्र कुमार, नं0 4 जगदीश प्रसाद जाति मीना निवासीगण कोटसुवां को खातेदार घोषित किये जावें। खातेदार बाबूलाल के वारिसान चन्द्रकला बाई रामबिलास बाई, ज्योति कुमारी अपनें हिस्से का हकत्याग अपनें पुत्रों व भाईयों वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के पक्ष में करती है अपनें हिस्से में प्राप्त होनें वाली भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग करती है। राजीनामा प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 7 ने निवेदन किया कि उपरोक्त मुकद्में वाद में राजीनामा तस्दीक फरमाते हुए उक्त वाद बरूपे राजीनामा डिक्री फरमाये जानें का आदेश प्रदान करें।

राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित किये। प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा विधिक विचारण किया। विवादित आराजी वाके ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1639 रकबा 1.98 हे0 भूमि वर्तमान में बाबूलाल पुत्र भूला उर्फ भोलू की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र से जाहिर है कि बाबूलाल की मृत्य दिनांक 06.09.2018 को चुकी है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 7 बाबूलाल के वारिसान है, जिसकी ताईद ग्राम पंचायत कोटसुवां द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2018 से होती है। प्रतिवादी नं0 1 ता 4

...दी के भाई, प्रतिवादी नं0 5 वादी की मां एवं प्रतिवादी नं0 6–7 वादी की बहिने है। राजीनामा ... प्रतिवादी नं0 5 ता 7 ने विवादित आराजी में अपनें निहित हिस्से को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के पक्ष में हकत्याग करनें तथा मीना जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होनें एवं मीना जाति व समाज में पुरूष वर्ग मौजूद होनें पर महिलाओं का भूमि में कोई अधिकार नहीं होनें के कथन वाद पत्र में किये गये है, किन्तु मीना जाति में पुरूष वर्ग के मौजूद होते हुए महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होनें के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे माना जावें कि मीना जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा पुरूष वर्ग के मौजूद होते हुए महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होते है और न ही हकत्याग के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। विवादित आराजी के खातेदार मृतक बाबूलाल का फोती इंतकाल नहीं खोला गया है, जिसके फलस्वरूप विवादित आराजी वर्तमान में मृतक बाबूलाल की खातेदारी में ही दर्ज चली आ रही है, जिससे भी मृतक बाबूलाल का फोती इंतकाल खोला जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 नें अपनें स्वत्व बिना राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित होनें की स्थिति में सहमति प्रकट की है।

चूंकि प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 नें अपनें हिस्से की आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के पक्ष में छोडनें की लिखित सहमति प्रकट की है, जिसका उल्लेख उभयपक्ष ने राजीनामा में किया है। वैसे भी कानूनन माता एवं बहिने अपनें पुत्र एवं भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर सकती है, किन्तु उसके लिए पृथक से प्रावधान है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 द्वारा अपना हिस्सा त्यागनें के परिणामस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 उक्त छोडे गये हिस्से को ग्रहण करनें एवं खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 द्वारा अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के पक्ष में छोडे जानें के फलस्वरूप राजकीय हानि होना जाहिर होता है। प्रकरण में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा एवं दुरूस्ती की रिलीफ चाही गई है, जो मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके कोटसुवां तहसील दीगोद के ख0नं0 1639 रकबा 1.98 हे0 भूमि का वादी मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल, प्रतिवादी नं0 1 राजेन्द्र प्रसाद, प्रतिवादी नं0 2 भरतराज, प्रतिवादी नं0 3 जितेन्द्र, प्रतिवादी नं0 4 जगदीश पुत्रान बाबूलाल को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 5 लगायत 7 द्वारा

वादित आराजी में से अपनें स्वत्व छोडनें के सम्बन्ध में तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 13/11/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद